



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



CBSE/COORD/CE/2022

दिनांक : 08/12/2022

परिपत्र

विषय : कक्षा X/XII, 2022-23 के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं/आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना की तैयारी।

सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं/आंतरिक मूल्यांकन/परियोजना मूल्यांकन 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हैं।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि प्रायोगिक परीक्षाओं/आंतरिक मूल्यांकनों/परियोजना मूल्यांकनों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई करें।

स्कूलों द्वारा कार्रवाई

1. विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षाओं का पाठ्यक्रम समय से पूरा कर लिया जाए।
2. विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रयोगशालाओं की तैयारी और भंडारण और आंतरिक परीक्षकों की पहचान जैसी आवश्यक व्यवस्था समय पर अच्छी तरह से कर ली गई है।
3. स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों और अभिभावकों को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि-पत्र के बारे में सूचित कर दिया गया है।
4. स्कूल से प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) की ऑनलाइन प्रणाली से जांच की जानी है और यह सुनिश्चित किया जाना है कि सही विषय और छात्रों की श्रेणी (अर्थात् नियमित/कम्पार्टमेंट/सुधार) ऑनलाइन प्रणाली में परिलक्षित होता है।
5. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोगिक परीक्षाओं के वास्तविक आयोजन की तारीख से पहले स्कूलों में पर्याप्त संख्या में प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं।
6. यदि उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के संबंध में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
7. कक्षा-बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा ही संचालित की जाएंगी।

Sin

क्रमशः.....2/-



"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in



छात्रों द्वारा कार्रवाई

8. छात्रों/माता-पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अध्ययन के विषय स्कूलों द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों की सूची में सही ढंग से दर्शाए जा रहे हैं।
9. छात्रों/माता-पिता को पाठ्यक्रम और उन विषयों के बारे में पता होना चाहिए जिनमें व्यावहारिक परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।
10. छात्रों को प्रायोगिक परीक्षाओं में कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित होना चाहिए क्योंकि बोर्ड द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं में बैठने का कोई दूसरा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
11. उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के संबंध में किसी भी समस्या या पूछताछ के मामले में संबंधित छात्र अपने स्कूल से संपर्क करेगा।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

12. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीएसई मुख्यालय द्वारा यथाशीघ्र जारी किए गए प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन के लिए दिशानिर्देश स्कूलों के साथ साझा किए जाएं।
13. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाएं अधिसूचित कार्यक्रम के भीतर पूरी की जाएं और अंक भी अपलोड किए जाएं।
14. क्षेत्रीय कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयों में कक्षा और विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होने से पहले बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति की जाए।
15. क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होने से पहले प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाएं स्कूल में पहुंचा दी जाएं।


(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब व्यवस्थापक को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।